

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 1983/पौष 9, 1905
No. 499] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 30, 1983/PAUSA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

राष्ट्र और नागरिक प्रति संश्लेष

(नागरिक प्रति विभाग)

नई दिल्ली, 30-दिसम्बर 1983

अधिसूचना

सांकेतिक 935(अ) :—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम,
1955 (1955 का 19) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, वनस्पति-तेल-उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 का और
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वनस्पति-तेल-उत्पाद नियंत्रण
(दूसरा संशोधन) आदेश, 1983 है।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2 वनस्पति-तैल-उत्पाद निबंधन अधिनियम, 1947 में, खंड 14 के उपखंड (2) में, सूद (ii) में “टाइप साइज से कम न हो” शब्दों के पश्चात् “(जिसके साथ उसमें अंतर्विष्ट अलग अलग तैलों के नाम होंगे जो 3 मि०मि० की टाइप साइज से कम न हों” शब्द, अंक और अक्षर अतः स्थापित किए जाएंगे।

[सं० 2-वीपी(1)/81]

टी०आर० परमेश्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 30th December, 1983

NOTIFICATION

G.S.R. 935(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, namely :—

1. (i) This order may be called the Vegetable Oil Products Control (Second Amendment) Order, 1983.

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, in clause 14, in sub-clause (2), in item (ii), after the words, figures and letters “not less than 12.5 mm”, the words, figures and letters “with names of individual oils contained therein in type size of not less than 3 mm”, shall be inserted.

[No 2-VP(1)/81]

T. R. P. RAMESWARAN, Jt. Secy.